संख्या-577/2018/1402/22-2-2018-24जी/2017

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 अगस्त, 2018***

विषय: 15 अगस्त, 2018 (स्वतंत्रता दिवस) की 72वीं वर्ष गांठ के सुअवसर पर प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-572/2018/1402/22-2-2018-24जी/2017, दिनांक 09.08.2018 द्वारा प्रदेश के कारागारों में निरूद्ध ऐसे सिद्धदोष बन्दी, जो कि मा0 न्यायालय द्वारा दी गयी सजा भोग लिये हैं लेकिन अर्थदण्ड न जमा कर पाने के कारण अतिरिक्त सजा भोग रहे हैं, को 15 अगस्त, 2018 (स्वतंत्रता दिवस) की 71वीं वर्ष गांठ के उपलक्ष में रिहा किये जाने के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूची के क्रमांक-1 से 71 तक अंकित कुल 71 सिद्धदोष बन्दियों को रिहा किये जाने के आदेश निर्गत किया गया है। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 15 अगस्त, 2018 (स्वतंत्रता दिवस) की 72वीं वर्ष गांठ होने के कारण कुल 72 सिद्धदोष बन्दियों को रिहा किये जाने हेतु सूची में अंकित 72वें सिद्धदोष बन्दी को रिहा किया जाना है।

2' इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सूची में क्रम संख्या 72 पर अंकित बन्दी को सूची के कालम-09 पर अंकित अवशेष अर्थदण्ड की धनराशि किसी स्वयं सेवी संस्था/समाज सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट के सहयोग से जमा कराकर यदि किसी अन्य मामले में निरूद्ध रखना वांछित न हो तो उनको कारागार से रिहा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाने के सम्बन्ध में निरूद्धि की कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार को अपने स्तर से निदेशित करने का कष्ट करें। जुर्माना जमा कराये जाने से पूर्व स्वयं सेवी संस्था/समाज सेवी संस्था/क्लब/ट्रस्ट की वैधानिक पवित्रता की जांच कर ली जाय। शासनादेश संख्या-572/2018/1402/22-2-2018-24जी/2017, दिनांक 09.08.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-577/2018/1402(1)/22-2-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, आदर्श कारागार/केन्द्रीय/जिला कारागार, उत्तर प्रदेश।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अमर सेन सिंह)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।